

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1079/2021/10-11/450

भोपाल, दिनांक 3/2/22

प्रेषक :-

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंग रोड नं. 3, ई-5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- रतलाम जिले में रतलाम-बाजना-कुशलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण हेतु
3.376 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग, रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/MPB 095/2021-BHO/ दिनांक 07.01.2022


----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में हुए उल्लंघन के संबंध में लोक निर्माण विभाग के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है।

इस संबंध में लेख है कि प्रस्तावित मार्ग 1980 के पूर्व 3.50 मीटर डामरीकृत था। आवेदक संस्थान को यह जानकारी नहीं थी कि यह प्रस्तावित क्षेत्र वनक्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जैसे ही वन विभाग को जानकारी प्राप्त हुई तत्काल कार्य बंद करा दिया गया। आवेदक संस्थान द्वारा जानबूझकर उल्लंघन कार्य नहीं किया गया है।

प्रकरण में हुए उल्लंघन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति नियमानुसार दण्ड की राशि अधिरोपित करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध है।

भवदीय




(सुनील अग्रवाल)

भोपाल, दिनांक 3/2/22

पृ. क्रमांक/एफ-5/1079/2021/10-11/451

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), उज्जैन, वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, रतलाम, मध्यप्रदेश।
 3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, हाथीखाना रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल